# lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 4 ¼1½ [k ds vUrxZr mRrjk[k.M iqfyl dk 17 fcUnqvksa dk eSuqvy dk laxzg tu lkekU; ds voyksdukFkZ gsrqA

## iqfyl foHkkx tuin nsgjknwu
## mRrjk[k.MA
## o"kZ 2011&12

# ifyl foHkkx tuin ngjknu ¼mRrjk[k.M½

भारत सरकार द्वारा ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' के धारा–4(1)(बी) तथा धारा–4(2) 4–(3) तथा धारा 4–(4) (4) में निहित लोक प्राधिकारी द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन।

## fcUn l[;k &01

## ifyl foHkkx dh fof'"V;k ] dR; vkj drO;

पुलिस बल की विशि"टयां, कृत्य और कर्तव्य का विवरण अंकित किये जाने से पूर्व विभागीय इतिहास की जानकारी, संगठन की संरचना का विवरण दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जो निम्नवत है।

विभागीय इतिहास की जानकारी :–पुलिस विभाग का इतिहास काफी पुराना है सम्भवतः वैदिक काल से भी पूर्व अमल मे आया होगा क्योकि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य के द्धारा भी लिखा गया है । जिसके पूर्वजों मे अतीत मे स्वामी भक्ति का परिचय दिया हो सुशील,शिक्षित, अनुरक्त प्रत्येक कार्य को भलीभांती सोच समझकर करने वाले व्यक्ति को ही राजा द्वारा अंग रक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए । अतः इस लेख से पता चलता है कि पुलिस का इतिहास काफी पुराना है । उस समय 5–6 सिपाहियो का कमाण्डर पत्पिात, 30 सिपाहियो का प्रभारी गौल्मिक,100 सिपाहियों का प्रभारी भातानीक, 1000 सिपाहियों का प्रभारी साहसिक और 10000 सिपाहियों का प्रभारी आयुतिक कहलाता था । जो कि आज समय और समाज के बदलाव व पा चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण नाम बदलकर क्रमशः हैड कान्सटेबिल, सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा उप महानिरीक्षक हो गये है।

पुलिस विभाग के कार्य भी प्राचीन काल से ही नियत है क्योंकि प्राचीन काल में लिखे गये ग्रन्थ ''शक नीति'' के प्रथम अध्याय में यह उल्लेख मिलता है कि पुलिस को रात्रि में गश्त करते समय गांव से निकलने वाले व प्रवेश करने वालों की सावधानी पूर्वक तलाशी लेनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते है कि पुलिस विभाग काफी पुराना विभाग है । यह कहना अनुचित न होगा कि मानवता के विकास के साथ ही पुलिस का इतिहास भी रहा है।

समयानुक्रम के हिसाब से भारत में छोटे–छोटे राज्य हुवा करते थे तथा सभी राजाओं की अपनी पुलिस व फौजे थी जिनकी वेशभूषा भी भिन्न भिन्न प्रकार की थी । समय बदलता गया और भारत देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। सारे भारत पर अंग्रेजी भाासन होने के फलस्वरूप पूरे देश के पुलिस बल में एक रूपता लाने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने 6 सदस्यों का एक कमीशन ''मिस्टर एम एच कोर्ट'' की अध्यक्षता में 1860 में गठित किया गया जो कि प्रथम आल इंडिया पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश पुलिस गठन व"ा 1861 में ''North Western Provision Police" के नाम से हुआ। इसके बाद सन 1876 में इसका नाम बदलकर ''North Western Provision Police" रखा गया। व"ा 1902 में इसका नाम ''United Provision Police" रखा गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रान्तो का गठन होने के बाद सन 1956 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस रखा गया।

मिस्टर एम एस कोर्ट की रिर्पोर्ट के आधार पर प्रान्तीय स्तर पर इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की व्यवस्था की गयी जिसके अधीन प्रदेश का समस्त पुलिस बल रखा गया। नार्थ वैस्टर्न के पहले इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम एच कार्ट को ही बनाया गया था तथा इन्ही की संस्तुतियों के आधार पर ही भारत में पुलिस व्यवस्थापना की गयी। जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है। इन्ही के निर्देशन में प्रत्येक जिले को सर्किल मे विभक्त किया गया तथा सर्किल का इन्चार्ज इन्सपेक्टर को बनाया गया इनके अधीन कई थाने हुआ करते थे। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुआ करती थी। वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक प्रान्त में केवल 6 नगरो में (कानपुर ,आगरा, मेरठ,बनारस,इलाहाबाद और लखनउ) हुआ करती थी ।वर्श 1982 में इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद को उच्चीकृत करके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद की स्थापना की गयी। वर्श 1994 में जनपद देहरादून में पुलिस अधीक्षक के पद को उच्चीकृत करके वरि"ठ पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गयी।

दिनांक 9.11.2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को  अलग करके उत्तराखण्ड राज्य बनाया गया जिसमें जनपद टिहरी गढवाल, पौड़ी गढवाल, उत्तरका ाी, रूद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर को सम्मिलित किया गया । देहरादून जनपद को उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआा ।

पुलिस विभाग का संगठन प्रदेश स्तर पर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्र स्तर पर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जिला स्तर पर वरि"ठ / पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित होता है पुलिस विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है–

| | | |
|---|---|---|
| 1– | पुलिस महानिदेशक | – राज्य स्तर |
| 2– | पुलिस उप महानिरीक्षक | – परिक्षेत्र स्तर |
| 3– | वरि"ठ / पुलिस अधीक्षक | – जनपद स्तर |
| 4– | पुलिस उपाधीक्षक / क्षेत्राधिकारी | – सर्किल स्तर |
| 5– | थानाध्यक्ष | – थाना स्तर |

जनपद स्तरीय पुलिस संगठन को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है

1– कानून व्यवस्था / भाान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु।

2– स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन हेतु।

3– रिजर्व पुलिस बल(सशस्त्र / यातायात व परिवहन सहित) हेतु।

4– संचार व्यवस्था हेतु।

5– कार्यालय प्रबन्धन हेतु।

6– अग्निशमन व्यवस्था हेतु।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस विभाग का पदवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

1–कानून–व्यवस्था /शान्ति व्यवस्था हेतुः–

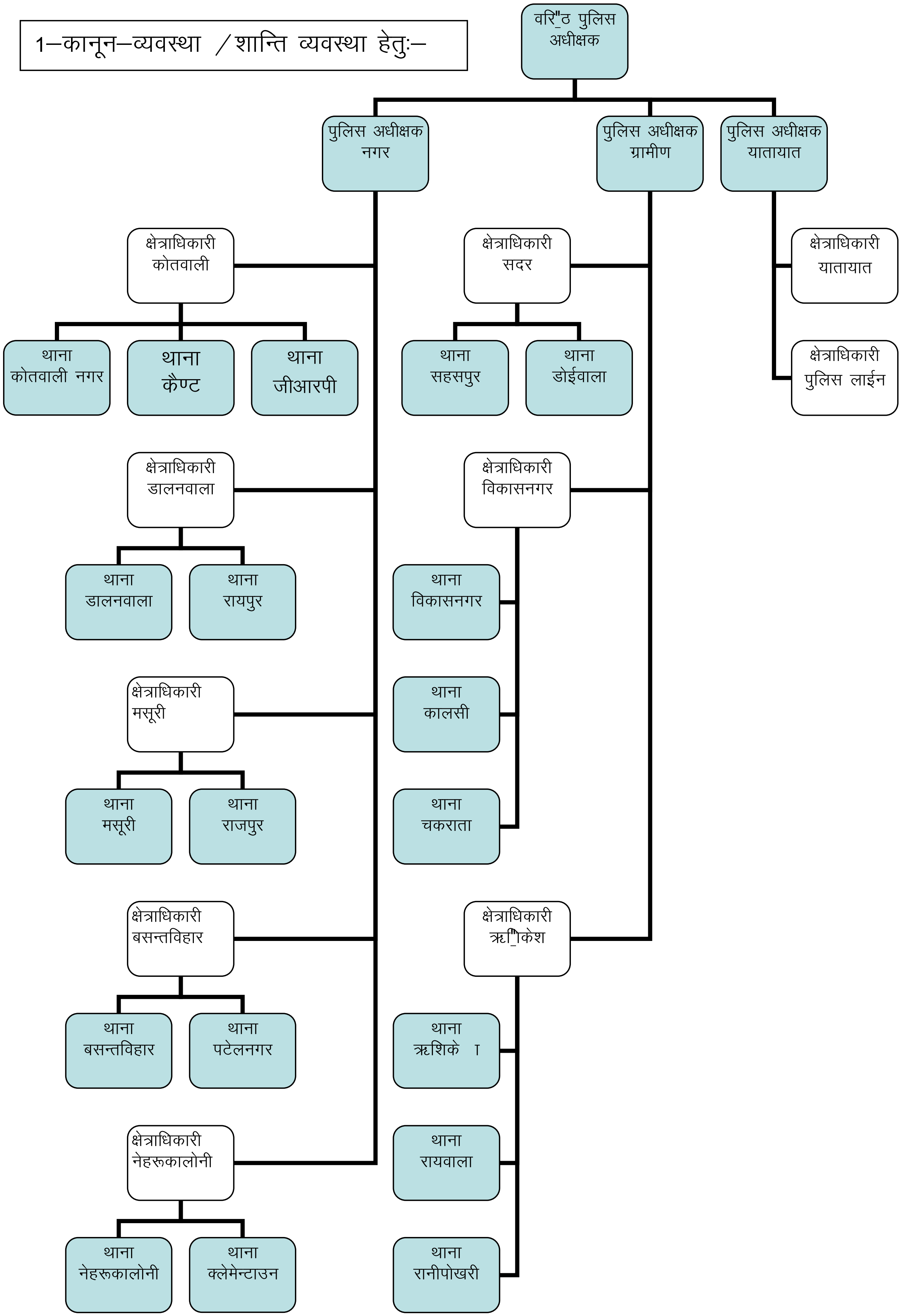

2. स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन हेतु :–

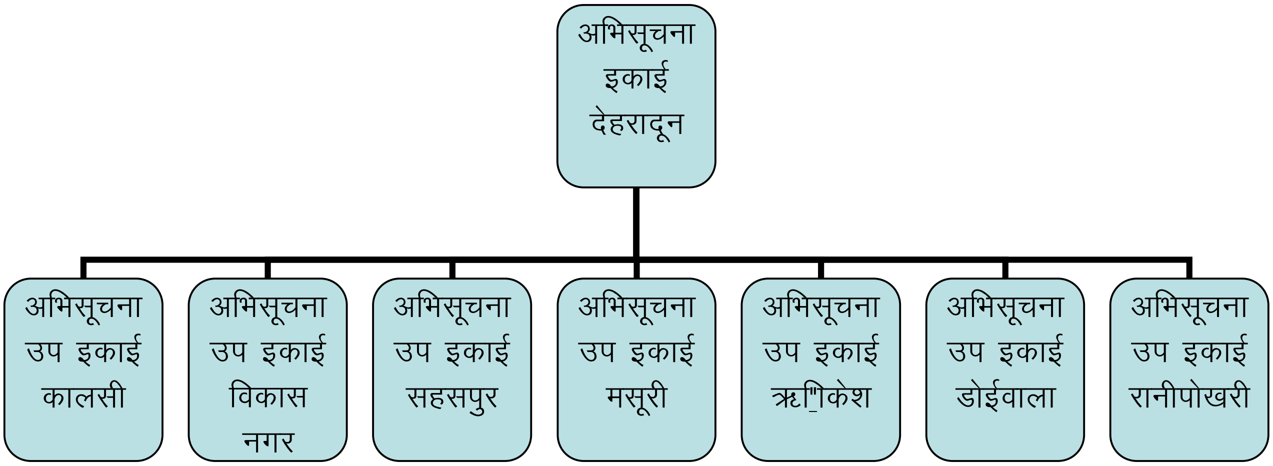


3. रिजर्व पुलिस बल :–

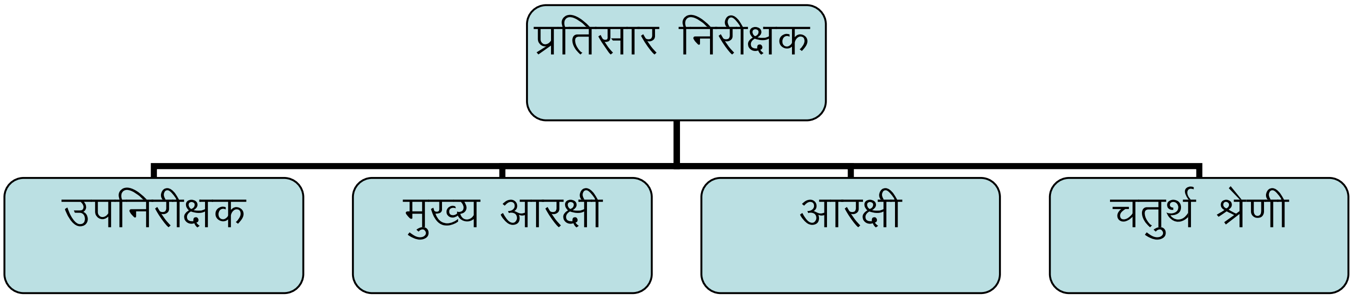


4. संचार व्यवस्था :–

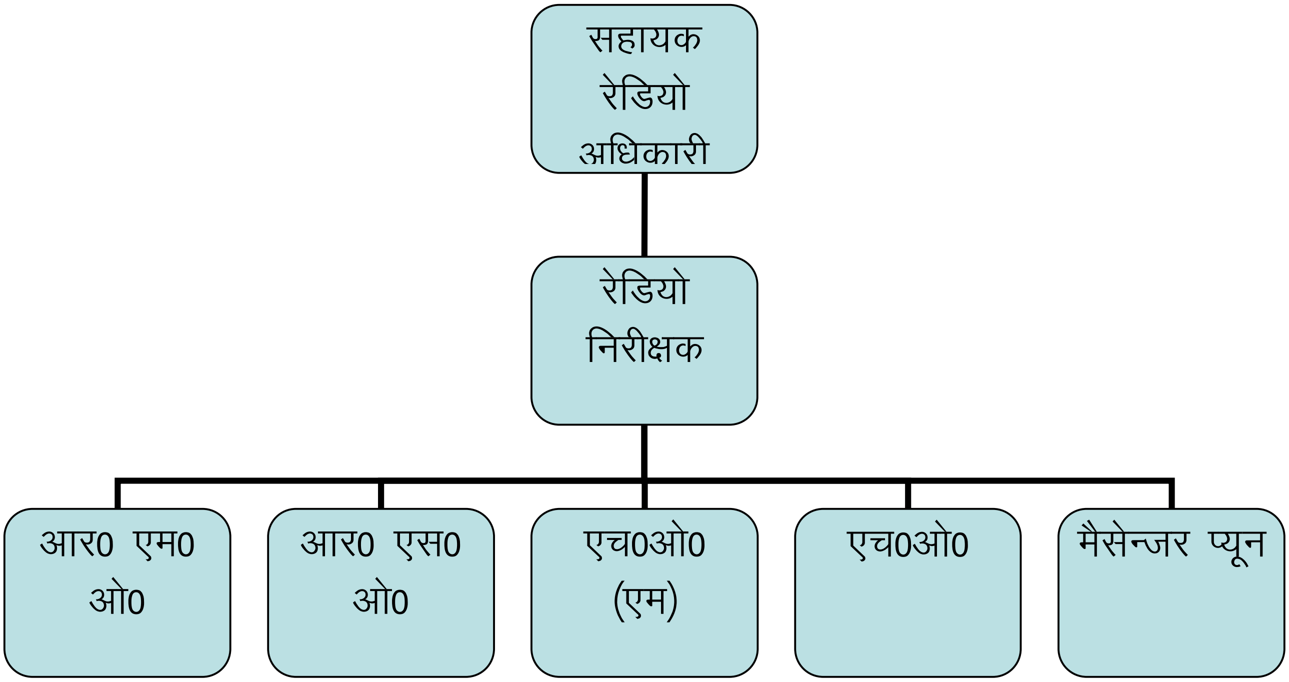


5. कार्यालय प्रबन्ध :–

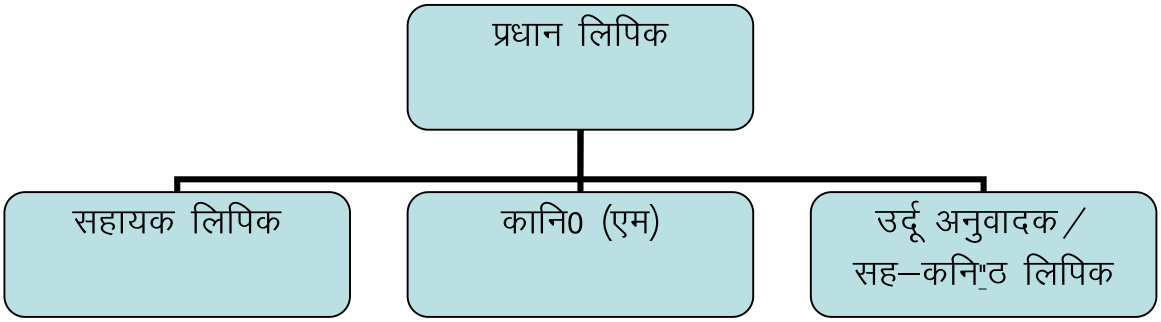


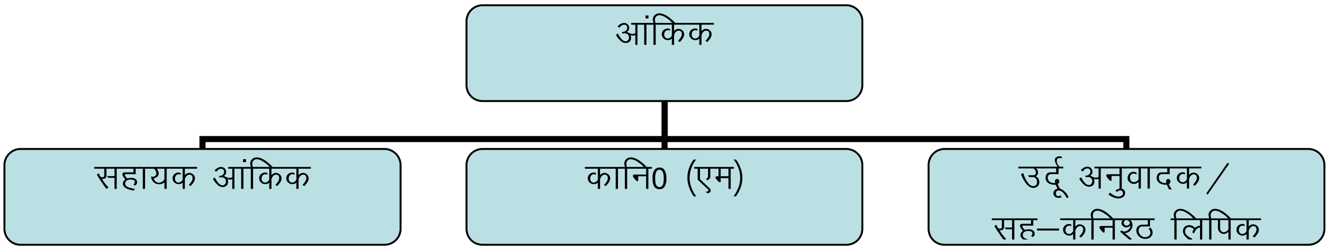


6. अग्निशमन व्यवस्था हेतु :–

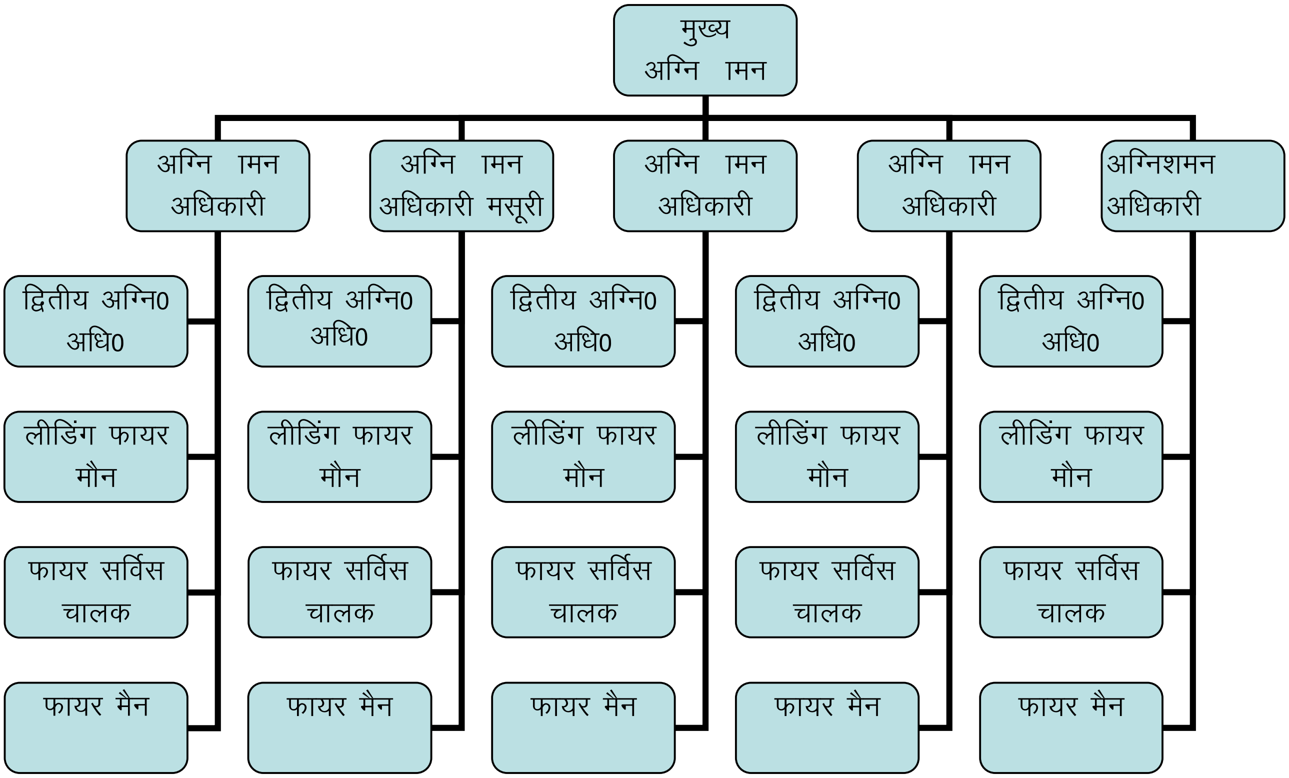


**fof’k"V;k %&**

भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिट्रिश सरकार ने पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा पुलिस को स्थानीय विधि– व्यवस्था के अधीन किया था। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार, पुलिस का पर्यवेक्षण राज्य सरकार में निहित होता है। संविधान की अनुसूची –06 में राज्य सूची –02 एवं

संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार पुलिस पर अंतिम नियंत्रण राज्य सरकार का है। जिस प्रकरण में राज्य सरकार को विधायी भाक्तियां प्राप्त है, उस प्रकरण में कार्यपालिका राज्य सरकार की कार्यपालिका में निहित होगी। पुलिस पर यह नियंत्रण गृहमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावी होता है तथा अन्ततोगत्वा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद द्वारा नियंत्रित होता है।

**dR;** :–

पुलिस विभाग अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाकर रा"ट्र के समस्त नागरिकों को भवमुक्त समाज प्रदान किये जाने की अभिधारणा पद कार्य करने वाला एक अनुशासित संगठन है। यह संविधान एवं विधि के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों एवं हितों का संरक्षक है, इसके अभाव में नागरिकों की सुरक्षा अथवा संविधान के निहित भावनाओं को पूर्ण किया जाना कदापि सम्भव नहीं है।

## dr0; %&

पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य अपराध एवं अव्यवस्था को रोकना है। पुलिस के आधारभूत कर्तव्य निम्नवत है :–

1– अपराध का निवारण

2– अपराध घटित होने पर अपराध की विवेचना

3– अपराधियों को निरूद्ध करना

4– न्यायालयों में अभियोजन

5– भाांति–व्यवस्था का अनुरक्षण

**fcUnq la[;k & 02**

## vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa dh “kfDr;k¡ ,oa dr0; tuin Lrj ij

## ofj’B iqfyl v/kh{kd :–

वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक, जिले का प्रमुख होता है।यह बल की दक्षता, अनुशासन और कर्तव्यों के समुचित पालन कराने के लिए उत्तरदायी है। उन्हें यह देखना होता है कि न्यायालयें और अन्य सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं।

वरि"ठ पुलिस अधीक्षक को कानून–व्यवस्था एवं भाांति–व्यवस्था बनाये रखने हेतु आई0 पी0 सी0/सी0आर0पी0सी0/विभिन्न अधिनियमों तथा विधि द्वारा स्थापित सभी नियमों का पालन कराये जाने हेतु समस्त अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मुख्य आरक्षी तक के कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण उन्हें परच्युत/निलम्बित किये जाने का अधिकार भी प्राप्त है।

**ofj"B iqfyl v/kh{kd ds vfrfjDr vU; vf/k0@de0 dh “kfDr;k vkSj dr0; %&**

| क्र0 सं0 | कार्य की प्रकृति | सम्बन्धित कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1– | अपर पुलिस अधीक्षक | 1– अपने क्षेत्रान्त्रर्गत कानून/ भाांति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।<br>2– अपराधों का पर्यवेक्षण करना। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3— पुलिस लाईन/ पुलिस कार्यालय से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्यों का सम्पादन करना, जिन्हें किये जाने हेतु वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।<br>4— पुलिस उपाधीक्षक किसी ऐसे कार्य का पालन कर सकेगें, जिसे वह किसी विधि या नियम के द्वारा स्वयं ही करने को बाध्य न हो ।<br>5— वे जांच और सिफारिश कर सकते हैं ,चाहे तब वह अंतिम आदेश करने को सशक्त न हों।<br>6— दण्ड के मामलों में वह वृहद दण्ड एवं निलम्बन के अतिरिक्त वे अधीक्षक के कर्तव्यों का पालन करने को सशक्त होंगें।<br>7— पुलिस अधिनियम की धारा 39 एवं 30—ए के अधीन वरि"ठ पुलिस अधीक्षक के सभी कर्तव्यों का पालन करने को स ाक्त है।<br>8— अन्य विविध कार्य। |
| 2— | पुलिस उपाधीक्षक | 1— अपने क्षेत्रान्त्रर्गत कानून/भाांति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।<br>2— अपराधों का पर्यवेक्षण करना।<br>3— पुलिस लाईन/पुलिस कार्यालय से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्यों का सम्पादन करना, जिन्हें किये जाने हेतु वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।<br>4— पुलिस उपाधीक्षक किसी ऐसे कार्य का पालन कर सकेगें, जिसे वह किसी विधि या नियम के द्वारा स्वयं ही करने को बाध्य न हो ।<br>5— वे जांच और सिफारिश कर सकते हैं ,चाहे तब वह अंतिम आदेश करने को सशक्त न हों।<br>6— दण्ड के मामलों में वह वृहद दण्ड एवं निलम्बन के अतिरिक्त वे अधीक्षक के कर्तव्यों का पालन करने को सशक्त होंगें।<br>7— पुलिस अधिनियम की धारा 39 एवं 30—ए के अधीन वरि"ठ पुलिस अधीक्षक के सभी कर्तव्यों का पालन करने को सशक्त है।<br>8— अन्य विविध कार्य। |
| 3— | निरीक्षक/उप निरीक्षक | 1— थाना प्रभारी के रूप में समस्त अधिकारियों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन।<br>2— क्षेत्र में कानून एवं भाांति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।<br>3— अपराधों की विवेचना सम्बन्धि कार्य।<br>4— विधि द्वारा समय—समय पर स्थापित अधिनियमों/ आई0पी0सी0/सीआरपीसी आदि में निहित भाक्तियेां का प्रयोग करना।<br>5— उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये प्रकरणों में जांच आख्या प्रस्तुत करना ।<br>6— उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।<br>7— उच्चाधिकारियों से प्राप्त दिशा —निर्देशों /आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।<br>8— सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं अपराध घटित होने की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियेां को देना आदि। |
| 4— | प्रधान लेखक (हे0 कां0) | 1— थाने में रिकार्ड कीपर व लेखपाल का कार्य करना।<br>2— जनरल डायरी और अपराधों की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखना ।<br>3— अंग्रेजी/हिन्दी में रोकड़ बही और दूसरी लेखा पुस्तकें बनाये |

| | | |
|---|---|---|
| | | रखने तथा थाने में होने वाले सभी सरकारी धन और मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना ।<br>4— ग्राम चौकिदारों की उपस्थिति को उनके बोडो पर अभिलिखित करना और अपेक्षित होने पर उनकी पुस्तको ं में प्रवि"टयां करना।<br>5— आरक्षियों को पुलिस गजट और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट की अभिसूचनाओं और ऐसे अन्य कागजों को जिन्हें भारसाधक अधिकारी चुने , जोर—जारे से पढकर सुनाना।<br>6— विवरणों, वेतन पत्रक और वेतन संक्षेप संकलिक करना, रजिस्टर तैयार करना और अन्य लिपिकीय कार्य करना, जो उसे भारसाधक अधिकारी द्वारा समनुदेशित किया जावे।<br>7— सभी पुस्तकें/अभिलेखों को रखना ।<br>8— उपरोक्त के अतिरिक्त थाना प्रभारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य। |
| 5— | आरक्षी | 1— अपराध को घटित होने से रोकना।<br>2— संतरी ड्यूटी के समय हवालात में बंदियों, तिजोरी, मालखाने और की सभी सम्पत्तियों की रक्षा करना।<br>3— अपनी बीट सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन , बीट बुक में उनका अंकन करना आदि।<br>4— उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना। |
| 6— | अभिसूचना इकाई में नियुक्त सभी कर्मी (लिपिक/चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) | 1— अभिसूचनाओं का संकलन ।<br>2— विदेशी नागरिको के आवागमन पर दृ"ट रखना।<br>3— जनपद में प्रचलित समस्त गतिविधियों पर दृश्टि रखना तथा यथा समय सूचना सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेशित करना।<br>4— पारपत्रों /चरित्र सत्यापनों की जांच करना।<br>5— उपरोक्त के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा समय—समय पर प्राप्त होने वाले दिशा—निर्देशों का अनुपालन। |
| 7— | रिजर्व निरीक्षक/उप निरीक्षक | 1— सभी रक्षकों और मार्गरक्षियों का निरीक्षण करना तथा यह देखना कि वह अपनें कर्तव्यों से पूर्ण रूप से परिचित है अथवा नहीं<br>2— नियमित रूप से परेड कराना तथा यह देखना कि उनके पास सम्पूर्ण किट है अथवा नहीं।<br>3— पुलिस लाईन में कर्तव्यों के सही वितरण पर दृश्टि रखना।<br>4— रिजर्व के व शस्त्रों , आयुधों ,गोला—बारूद ,डेरों और भण्डारों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं रजिस्टरों का रख रखाव करना।<br>5— रंगरूटों के प्रशिक्षण तथा अभ्यास कराने के लिए उत्तरदायी होना।<br>6— वा"िक फायरिंग के समय स्वयं उपस्थित रहना।<br>7— आकस्मिक रूप से गार्दों का निरीक्षण करना तथा को"ाालय मे गोला बारूद और हवालात में मरों परिदर्शन करेगा तथा इसकी टिप्पणी आव यक अभिलेखों में दर्ज करना।<br>8— इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।<br>9— रिजर्व निरीक्षक किसी आरक्षी को अधिकतम 03 दिवस के लिये व्यायाम और थका देने वाले कर्तव्यों का दण्ड दे सकता है। |
| 8— | मुख्य आरक्षी | 1— गार्द और मार्ग रक्षको को कमयड करने व्यायाम मे अनुदेश दे |

| | | |
|---|---|---|
| | स0पु0 | सकता है।<br>2— गार्द कमाण्डर के रूप में विभिन्न स्थानों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जा सकता है।<br>3— महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में गनर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।<br>4— इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा समय—समय पर प्राप्त दिशा—निर्देशों का अनुपालन।<br>5— यातायात ड्यूटी में नियुक्त किया जा सकता है। |
| 9— | आरक्षी स0पु0 | 1— विभिन्न सुरक्षा गार्दो में सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जा सकता है।<br>2— शांति व्यवस्था ड्यूटी में नियुक्त किया जा सकता है।<br>3— यातायात नियंत्रण ड्यूटी में नियुक्त किया जा सकता है। |
| 10— | मुख्य आरक्षी एम0 टी0 | 1— जनपद में उपलब्ध वाहनों की देखरेख करना ।<br>2— वाहनों के सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख रखना।<br>3— एमटी कार्यालय सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख—रखाव । |
| 11— | आरक्षी चालक | 1— वाहनों का संचालन।<br>2— वाहनों की देखरेख्ङ्ग |
| 12— | मुख्य आरक्षी आरमोरर | 1— शस्त्रों का आवश्यक्तानुसार वितरण तथा उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना।<br>2— वितरित किये गये शस्त्रों का निरीक्षण करना।<br>3— शस्त्रागार में उपलब्ध सभी प्रकार के अभिलेखेां की देख देख करना। |
| 13— | आरक्षी आरमोरर | 1— मुख्य आरक्षी आरमोरर की सहायता करना। |
| 14— | रेडियो शाखा | 1— जनपद के सभी थानों से लगातार सम्पर्क स्थापित किया जाना।<br>2— संचार सम्बन्धी उपकरणों का रख—रखाव करना।<br>3— विभिन्न सूचनाओं का संप्रे"ाण करना।<br>4— कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का रख—रखाव करना। |
| 15— | प्रधान लिपिक(मय सहायकों के) | 1— बाहरी जनपद से होने वाली समस्त पत्र व्यवहार हेतु उत्तरदायी है।<br>2— पुलिस कर्मियों के सेवाभिलेखों का रख—रखाव।<br>3— दण्ड / वेतन / पेंशन / सत्यापन सम्बन्धी कार्य।<br>4— उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रशासनिक कार्यो का सम्पादन तथा उच्चाधिकारियेां द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन। |
| 16— | आंकिक(मय सहायकों के ) | सभी प्रकार के आहरण / वितरण सम्बन्धी कार्य। |
| 17— | आशुलिपिक | 1— वरि"ठ पुलिस अधीक्षक के गोपनीय सहायक के रूप में कार्य करते है। गोपनीय प्रवृति के सभी आदेशों / निर्देशों / प्रपत्रों को सुरक्षित रखना।<br>2— वरि"ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन। |
| 18— | वाचक (मय सहायकों के) | 1— जनपद के अपराधों सम्बन्धी सभी प्रकार के अभिलेखों का रख—रखाव।<br>2— उच्चाधिकारियों / वरि"ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों का संप्रे"k्ण। |

**fcUnq l[;k &03**

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मलित है :–

## ofj"B iqfyl v/kh{kd :–

1– जिला स्तर पर प्राप्त सभी प्रकरणों में अंतिम निर्णय लिया जाना।

2– जनपद में होने वाले अपराधों/ निरोधात्मक कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करना।

3– जनपद के सभी थानों/चौकियों/शाखाओं का निरीक्षण।

4– पुलिस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियेां के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का निर्धारण।

5– वित्तीय मामलों में अंतिम निर्णय लेना।

6– पुलिस कर्मियों में अनु ाासन एवं नियंत्रण बनाये रखना।

7– पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा का ध्यान रखना।

8– पेंशन/दण्ड/वेतन/सत्यापन आदि कार्यो का सम्पादन करवाना।

9– अभिसूचना शाखा से प्राप्त सूचना का विश्ले"ाण करना तथा आवश्यक निर्देश निर्गत करना।

## vij iqfyl v/kh{kd %&

1– अपने क्षेत्रान्र्तगत मे घटित अपराधों का पर्यवेक्षण करना।

2– विशे"ा अपराध आख्या भेजना।

3– दहेज अधि0/अनु0 जाति/जनजाति अधि0 आदि में विवेचना करना।

4– वरि"ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वित सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होने पर आहरण/वितरण का कार्य करना।

5– विभिन्न शाखाओं के निरीक्षण/पर्यवेक्षण का कार्य करना।

6– विभिन्न प्रार्थना–पत्रों की जांच आदि करना।

## iqfyl mik/kh{kd %&

1– अपने क्षेत्रान्र्तगत मे घटित अपराधों का पर्यवेक्षण करना।

2– विशे"ा अपराध आख्या भेजना।

3– दहेज अधि0/अनु0 जाति/जनजाति अधि0 आदि में विवेचना करना।

4– वरि"ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वित सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होने पर आहरण/वितरण का कार्य करना।

5– विभिन्न शाखाओं के निरीक्षण/ पर्यवेक्षण का कार्य करना।

6– विभिन्न प्रार्थना–पत्रों की जांच आदि करना।

**Fkkuk Lrj ij %&**

1– अपराधों की रोकथाम करना।

2– अपराध घटित होने पर अनावरण करना तथा आरोप–पत्र न्यायालय प्रे"ित करना।

3– न्यायालय में अभियोग के विचारण के दौरान साक्षियों को उपस्थित करना।

4– न्यायालयों में प्राप्त सम्मनों/नोटिशों/वारण्टों आदि की तामील करना।

5– हिस्ट्रीशीटरों पर दृ"िट रखना।

6– महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने पर तत्काल सूचना उच्चाधिकारियों को प्रे"ित करना।

7– विभिन्न प्रार्थना–पत्रों की जांच करना।

8– उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना।

**fcUnq la[;k %&4**

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

**¼v½ ftyk Lrj ij :–**

1– अपराधों विशे"ाकर महिलाओं/बच्चों/अनु0 जाति/जनजाति आदि के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर रोक लगाना तथा उन्हें यथा शीघ्र न्याय आदि दिलाये जाने को प्राथमिकता देना।

2– आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत कर, मित्र पुलिस की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना।

3– विधानसभा प्रश्नो का समय सीमा के अर्न्तगत उत्तर भेजना।

4– जनपद में तस्करी पर पूर्णरूपेण रोक लगाना।

5– यातायात व्यवस्था में सुधार आदि।

6– वी0वी0आई0पी0/वी0आई0पी0 महानुभावों के आगमन पर उनके भ्रमण की सूचना सम्बन्धितों को समय से भेजना।

7– रिट याचिकाओं में निर्धारित तिथि पर शपथ पत्र दाखिल कराना।

8– पुलिस विभाग में प्रचलित निर्माण कार्यों को निर्धारित मानक के अनुरूप कराया जाना।

9– उच्चाधिकारियों से प्राप्त होन वाले निर्देशों का अनुपालन कराना।

10– अनुशासनहीनता करने पर कृत्य के अनुपात में ही दण्ड प्रदान किया जाना।

11– पुलिस कर्मियों द्वारा अच्छे कार्य करने पर उन्हें प्रोत्साहित करना।

12– पर्यावरण सरक्षण हेतु प्रयास करना।

13– पुलिस कर्मियों की सुख–सुविधा का ध्यान रखना।

## fcUnq la[;k&5

लोक प्राधिकारी अथवा उनके कार्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम,विनिमय अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना :–

(अ) **ftyk Lrj ij** :–

| क्र0सं0 | कार्य की प्रकृति | सम्बन्धित नियम |
|---|---|---|
| 1– | वित्तिय मामले | 1– वित्तिय हस्त पुस्तिकायें |
| 2– | सेवा सम्बन्धि मामले | 1– वित्तिय हस्त पुस्तिका।<br>2– सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता।<br>3– कन्ट्रोल क्लासिफिकेशन एण्ड अपील रूल्स।<br>4– विभिन्न सेवा संवर्ग की सेवा नियमावलियां।<br>5– पेंशन नियम।<br>6– सामान्य भवि"य निर्वहन निधि नियमावली।<br>7– मैनुवल ऑफ गवर्नमैंट आर्डर।<br>8– पुलिस रेगुलेशन।<br>9– पुलिस कार्यालय मैनुवल।<br>10– पुलिस एक्ट। |
| 3– | कार्यालय प्रक्रिया एवं सामान्य पत्राचार | 1– शासनादेशों का संग्रह।<br>2– पुलिस रेगुलेशन।<br>3– पुलिस कार्यालय मैनुवल।<br>4– उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/कर्म0 की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991,उपान्तरण आदेश–2002। |
| 4– | अपराध कानून व्यवस्था आदि से सम्बन्धित मामले | 1– भारतीय दण्ड संहिता ।<br>2– दण्ड प्रक्रिया संहिता।<br>3– साक्ष्य अधिनियम।<br>4– राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम।<br>5– पुलिस अधिनियम।<br>6– शासन द्वारा निर्धारित नीतियां। |

## fcUnq la[;k&6

ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण:–

**¼v½ ftyk Lrj ij** :–

पत्रावलियों का रख–रखाव लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो कि अपने उच्चाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अभिलेखों को रखते हैं तथा कार्यवाही करते है । पत्रावलियों पर कार्यवाही होने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारीयों द्वारा अभिलेखागार में उसकी

उपयोगिता के अनुसार भाासन के दिशा निर्देशों के कम में विभिन्न अवधियों के लिए संचित किये जाते है। इन अभिलेखों की निम्न श्रेणियां हैः–

1– विभिन्न प्रकरणों एवं वि"ायों की पत्रावलियां।

2– विभिन्न पंजिकायें।

¼c½ Fkkuk Lrj ij :–

थाना स्तर पर विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों एवं अभिलेखों को उपयोग में लाया जाता है, जिनमें से प्रमुख निम्नवत है :–

1– मफरूर रजिस्टर

2– उन भगोड़े अपराधियों के बारे में जो प्रान्तीय सूची पर न हो, की सूचनाओं का रजिस्टर।

3– रोकड़ बही

4– पशु बिकी

5– पशुओं का अवारा होना ।

6– आरोप पत्र

7– पुलिस एक्ट की धारा 34 के अर्न्तगत आरोप–पत्र

8– भोजन,धन इत्यादि के लिए अग्रिम की प्रतिपूर्ति की चैक बुक

9– सूचना परिपत्रों की फाईल

10– अनुदे ा परिपत्र

11– दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 432 के अधीन सशर्त उन्मोचित अधिकारी

12– दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 356 के आदेशों के अध्याधीन दो"ासिद्ध

13– साप्ताहिक गोपनीय डायरी

14– अपराध रजिस्टर

15– अपराध अभिलेख पुस्तक(ग्राम चौकीदार)

16– ग्राम अपराध नोट बुक

17– अपराधी जनजातियों की रजिस्टर शीट

18– अपराधी जनजातियां अधि0 के नियम–4(ए) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची।

19– अपराधी व जनजातियों के सदस्यों के अल्पकालीन परित्याग पर पत्र

20– मृत्यु रजिस्टर

21– प्राप्तकर्ता रजिस्टर

22– केश डायरी

23– जनरल डायरी

24– द0प्र0सं0की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट

25– अंगुल छाप रजिस्टर

26– संज्ञेय अपराधों के लिए (प्रथम सूचना रिपोर्ट)

27– असंज्ञेय अपराधों के लिए (प्रथम सूचना रिपोर्ट)

28– गिरोह रजिस्टर

29– मरम्मत के लिए अग्रिम का हिसाब

30– जांच पर्चियों के अनुक्रमणिका ''अ''

31– जांच पर्चियों के अनुक्रमणिका ''ब''

32– हिस्ट्री  शीट की अनुक्रमणिका

33– मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट

34– निरीक्षण पुस्तिका (अंग्रेजी)

35– निरीक्षण पुस्तिका (हिन्दी)

36– मजिस्ट्रेट के लिए निरीक्षण पुस्तिका

37– कागजों का बीजक

38– द0प्र0सं0 की धारा 55 के अधीन गिरप्तारी आदेश

39– द0प्र0सं0 की धारा 109 के अधीन कार्यवाही

40– द0प्र0सं0 की धारा 110 के अधीन कार्यवाही

41– चोरी और पुनः प्राप्त की गई सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में रजिस्टर

42– अन्य पुलिस थानो की चोरी की गई सम्पत्ति के बारे मे आदेश की फाईल

43– रिमाण्ड भीट

44– थाने की आदेश पुस्तिका

45– द0प्र0सं0 की धारा 160(1) की अधीन जारी किये गये सम्मनों के रूप में आवाहन पत्र।

46– राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुमोदित संदिग्ध व्यक्तियों की सूची।

47– को"ाालय की पासबुक

48– घुमक्कड़ जनजातियां और गिरोह

49– कोरे रजिस्टर और प्रारूप विविध पुस्तका हेतु

50– फाईल पुस्तक जन्म सम्बन्धी।

## fcUn| l|[;k&07

किसी व्यवस्था की विशि"टयां, जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

### ¼v½ ftyk Lrj ij %&

1– जनपद में आयोजित विभिन्न बैठको में भाग लिया जाता है तथा प्राप्त होने वाले सुझावों पर कार्यवाही की जाती है।

2– जन–प्रतिनिधियें , पुलिस पेंशनर्स, पत्रकारें, मीडिया के व्यक्तियें एवं जनता के व्यक्तियो से समय–समय पर गोि"ठयां की जाती है गोि"ठयों के अतिरिक्त भी आम जनता के साथ विचारों का आदान–प्रदान किया जाता है इनमें उठाई जाने वाली समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाता है।

3– पुलिस कर्मियों हेतु भी अलग से सम्मेलन आयोजित किये जाते है।

### ¼c½ Fkkuk Lrj ij %&

1– थाना स्तर पर थाना प्रभारियों द्वारा समय–समय पर ग्राम सुरक्षा समितियों/मौहल्ला सुरक्षा समितियों/आम जनता/व्यापारियें/ट्रान्सपोर्टर्स/टैक्सी यूनियन आदि के साथ गोश्ठियां आयोजित की जाती है तथा समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

2– यदि उक्त गोश्ठियों में उठाई गयी समस्यायें पुलिस विभाग से सम्बन्धित नही होती हैं, तो उन्हें निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को भेज दिया जाता है।

## fcUn| l|[;k &8

ऐसे बोर्डों परि"ादों ,समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं,जिनका उनके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डों परि"ादों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

### ¼v½ ftyk Lrj ij %&

जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी आदि द्वारा आयोजित गोि"ठयों में भाग लिया जाता है। विभिन्न सलाहकार समिति तथा जनपद स्तरीय बैठकों, जिनमें विभिन्न स्तर के प्रतिनिधि प्रतिभाग करते हैं, जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाती है, जिनमें जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है तथा इनका कार्यवृत्त जन प्रतिनिधियों तक पहुंचता है।

### ¼c½ Fkkuk Lrj ij %&

1– थाना स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में पत्रकारों/मीडिया कर्मियों/जनता एवं उनके प्रतिनिधि भाग लेते है तथा में उठाई जाने वाली समस्याओं का यथासम्भव तत्काल निस्तारण कर दिया जाता है।

## fcUn| l|[;k &9

महत्वपूर्ण पदों पद नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिकाः–

| tuin ngjknu e: fu;Dr vf/kdkjh;k d: ekckby uEcjk dh lph | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d0 l0 | uke vf/kdkjh ,o | in | ekckby u0 | dk;ky; |
| 1 | श्रीमति नीरू गर्ग | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | 9411112706 | 2716203.09 |
| 2 | श्री जसवन्त सिंह | अपर पुलिस अधीक्षक नगर | 9411112725 | 2716207 |
| 3 | श्री जी0एस0ध्यानी | अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण | 9412057177 | |
| 4 | श्री अजय जोशी | पुलिस अधीक्षक यातायात | 8650666100 | |
| | श्री स्वतंत्र कुमार | क्षेत्राधिकारी डालनवाला | 9411111959 | |
| 5 | श्रीमती श्वेता चोबे | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | 9411112993 | |
| 6 | श्री टी0डी0 बेला | क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश | 9411112752 | 2432200 |
| 7 | श्रीमती सरिता डोभाल | क्षेत्राधिकारी सदर | 9411112089 | |
| 8 | श्री मणिकान्त मिश्रा | क्षेत्राधिकारी | 9411113990 | 2101021 |
| 9 | श्री पीसी आर्य | क्षेत्राधिकारी विकासनगर | 9411112745 | 1360222100 |
| 10 | श्री नवनीत कुमार | क्षेत्राधिकारी कोतवाली | 9411111959 | |
| 11 | श्री मदन सिह फर्सवाण | क्षेत्राधिकारी मसूरी | 9411112751 | |
| 12 | श्री महेन्द्र सिंह नेगी | प्रभारी निरीक्षक–कोतवाली | 9411112809 | 2716216 |
| 13 | श्री दिनेश भण्डारी | प्रभारी निरीक्षक–डालनवाला | 9411112814 | 2716218 |
| 14 | श्री एस0एस विष्ट | प्रभारी निरीक्षक–पटेलनगर | 9411112825 | 2716219 |
| 15 | श्री अरविन्द सिंह रावत | प्रभारी निरीक्षक बसन्त विहार | 9411112824 | 2716222 |
| 16 | श्री अर्जुन सिंह रावत | प्रभारी निरीक्षक–ऋषिकेश | 9411112815 | 2430100 |
| 17 | श्री परीक्षत कुमार | प्रभारी निरीक्षक–थाना मसूरी | 9411112817 | 2716227 |
| 18 | श्री अब्बल  सिंह रावत | प्रभारी निरीक्षक–थाना कैण्ट | 9411112810 | 2716235 |
| 19 | श्री गजेन्द्र सिंह रौतेला | प्रभारी निरीक्षक–थाना डोईवाला | 9411112818 | 2716230 |
| 20 | श्री रघुवीर सिंह असवाल | प्रभारी निरीक्षक–विकासनगर | 9411112819 | 01360–250342 |
| 21 | श्री वीसी पाठक | थानाध्यक्ष–राजपुर | 9411112811 | 2716224 |
| 22 | श्री एमपी सैनी | थानाध्यक्ष कलेमनटाउन | 9411112812 | 2716221 |
| 23 | श्री संदीप नेगी | थानाध्यक्ष–रायवाला | 9411112822 | 2484239 |
| 24 | श्री सुूर्य भूषण नेगी | थानाध्यक्ष–सहसपुर | 9411112816 | 2716231 |
| 25 | श्री राजीव रौथाण | थानाध्यक्ष–रायपुर | 9411112823 | 2716225 |
| 26 | श्री दिनेश चन्द्र बौंठियाल | निरीक्षक –नेहरू कालोनी | 9411112991 | 2673117 |
| 27 | श्री अबुल कलाम | थानाध्यक्ष–जी0आर0पी | 9411112921 | 2716223 |
| 28 | श्री राजेश भााह | थानाअध्यक्ष रानीपोखरी | 9411112826 | 2416235 |
| 29 | श्री रवि कुमार | थानाध्यक्ष–कालसी | 9411112820 | 01360.275076 |
| 30 | श्री धीरजमणी बलूनी | थानाध्यक्ष–चकराता | 9411112813 | 01360.272222 |
| 31 | श्रीमती  किरन असवाल | प्रभारी–महिला हेल्प लाईन | 9410354779 | 2716239 |
| 32 | श्री दिगपाल सिह कोहली | प्रभारी–एस0ओ0जी0 | 9411112963 | – |
| 33 | श्री बसन्ती लाल मधवाल | प्रभारी एलआईयू | 9411112796 | 2710108 |
| 34 | श्री योगेन्द्र सिंह | पेशकार एस0एस0पी0 | 9719016131 | |
| 35 | श्री भाकर सिंह विश्ट | पी0आर0ओ0 एस0एस0पी0 | 9412409524 | |
| 36 | श्री राकेश देवली | प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन | | 0135–2716226 |

## fcUnq la[;k &10

प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक, पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उप बन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मलित है :–

### ¼v½ tuin@'kk[kk@Fkkuk iHkkjh Lrj ij dk;jr vf/k0 dh funf'kdk :–

| क्र0 सं0 | पदनाम | मूल वेतन (रूपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | वरि"ठ पुलिस अधीक्षक | 15600–39100–6600 |
| 2. | अपर पुलिस अधीक्षक | 15600–39100–6600 |
| 3. | पुलिस उपाधीक्षक | 15600–39100–4600 |
| 4. | निरीक्षक | 9300–34800–4600 |
| 5. | उप निरीक्षक | 9300–34800–4200 |
| 6. | प्रतिसार निरीक्षक | 9300–34800–4600 |
| 7. | निरीक्षक अभिसूचना इकाई | 9300–34800–4600 |
| 8. | निरीक्षक रेडियो | 9300–34800–4600 |
| 9. | आर0 एम0 ओ0 | 9300–34800–4200 |
| 11. | आर0 एस0 ओ0 | 9300–34800–4200 |
| 12. | सी0 एफ0 ओ0 | 15600–39100–5400 |
| 13. | एफ0 एस0 ओ0 | 9300–39100–4200 |
| 14. | प्रधान लिपिक | 9300–39100–4200 |
| 15. | आशुलिपिक | 9300–39100–4200 |
| 16. | आंकिक | 9300–39100–4200 |
| 17. | सहायक लिपिक | 5200–20200–2400 |
| 18. | मुख्य आरक्षी | 5200–20200–2000 |
| 19. | कानि0 | 5200–20200–1900 |
| 20. | चतुर्थ श्रेणी | 5200–20200–1800 |

(ब) जनपद मे पुलिस बल का सम्पूर्ण स्वीकृत नियतन निम्नवत है :–

| क्र0 सं0 | जनपद | पदनाम | स्वीकृत नियतन | उपलब्धता | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | | पिछडी जाति | | मुस्लिम जाति | | सिक्ख | | इसाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उपलब्ध | प्रति0 | उपलब्ध | प्रति0 | उपलब्ध | प्रति0 | उपलब्ध | प्रति0 | उपलब्ध | प्रति0 | उपलब्ध | प्रति0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| V | | **ukxfjd ifyl** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | अपर पुलिस अधीक्षक | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | पुलिस उपाधीक्षक | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | निरीक्षक ना0पु0 (Male) | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | महिला निरीक्षक ना0पु0 (femal) | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE! |
| 6 | | उ0निरी0 ना0पु0 /जी0आर0पी0सहित (Male) | 193 | 173 | 28 | 16 | 4 | 2.3 | 15 | 8.67 | 2 | 1.2 | 3 | 1.7 | 0 | 0 |
| 7 | | महिला उ0निरी0 ना0पु0 (femal) | 1 | 27 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | हे0का0 ना0पु0 / जी0आर0पी0 सहित (Male ) | 180 | 142 | 37 | 26 | 3 | 2.1 | 15 | 10.56 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | महिला हे0का0 ना0पु0 (femal ) | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | देहरादून | कान्स0 ना0पु0 /जी0आर0पी0 सहित (Male ) | 1527 | 1263 | 299 | 24 | 32 | 2.5 | 400 | 31.67 | 28 | 2.22 | 4 | 0.3 | 0 | 0 |
| 11 | | महिला कान्स0 ना0पु0 (femal ) | 113 | 238 | 49 | 21 | 9 | 3.8 | 45 | 18.91 | 4 | 1.68 | 4 | 1.7 | | 0 |
| c | | **I'kL= ifyl** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | प्रतिसार निरीक्षक | 1 | 1 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 13 | | उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस(SIAP) | 6 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! |
| 14 | | हे0का0 स0पु0 (AP )90/शैडो(9) | 102 | 153 | 32 | 21 | 0 | 0.0 | 7 | 4.58 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | कान्स0 स0पु0 (AP)(322)/कान्स0 शैडो(47) | 383 | 381 | 98 | 26 | 8 | 2.1 | 103 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | | कान्स0 बिगुलर (BIGULAR) | 4 | 5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | | उप निरीक्षक अध्यापक (SI TEACHER ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | हे0का0 आई0टी0आई0 ( ITI ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | हे0का0 पी0टी0आई0 ( PTI ) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **l** | | **vkjekjj lox** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | उप निरीक्षक आरमोरर ( ARM ) | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | हे0का0 आरमोरर (ARM ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | कान्स0 आरमोरर (ARM) | 4 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | - | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **n** | | **;krk;kr ifyl** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | यातायात निरीक्षक | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | यातायात उप निरीक्षक ( TSI ) | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | हे0का0 यातायात (TP ) | 12 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | - | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | कान्स0 यातायात (TP) | 100 | 148 | 21 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **p** | | **cEcfMLikty LDokM** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | उप निरीक्षक बम्ब डिस्पोल( BD ) | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | हे0का0 बम्ब डिस्पोजल स्क्वाड(BD) | 7 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | का0 बम्ब डिस्पोजल स्क्वाड (BD ) | | 2 | 2 | 100 | | | | | | | | | | |
| **N** | | **'oku ny** | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | कान्स0 श्वान दल (DOG SQUARD) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **t** | | **?kMlokj ifyl** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | उप निरीक्षक घुडसवार पुलिस (MP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | हे0का0 घुडसवार ( MP ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | देहरादून | कान्स0 घुडसवार (MP) | 10 | 8 | 3 | 38 | 1 | 12.5 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **>** | | **ifjogu 'kk[kk** | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | उ0नि0 परिवहन | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | हे0का0परिवहन | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | कान्स0 चालक ¼thvkjih]cEc<br>fMLikty] vfHkIpuk<br>bdkb]Mkx LDokM lfgr½ | 65 | 72 | 22 | 31 | 2 | 2.8 | 18 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | कान्स0 डी0आर ( डिस्पैच राईडर ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 37 | | तकनीकीशियन ए0एस0आई0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | तकनीकीशियन हे0कान्स0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | तकनीकीशियन कान्स0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.00 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | fyfid lox | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | एस0आई0(एम) (HEAD CLERK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | एस0आई0(एम) (ACCTT ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | एस0आई0(एम) (CASHER ) | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 43 | | एस0आई0(एम) ( STENO ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | ए0एस0आई0(एम)(Asstt Clerk )सहायक लिपिक | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | ए0एस0आई0(एम) ( Asstt.Acctt )सहायक आंकिक | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | | कान्स0(एम) ( STENO ) | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | ##### | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | कान्स0(एम) | 1 | 15 | 3 | 20 | 1 | 6.67 | 6 | 40.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | उर्दू अनुवादक | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55.56 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | | prFk J.kh | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | चतुर्थ श्रेणी¼vfHk lpuk bdkb] xkrk[kkj lbl]Mkx LDokM] th0vkj0ih0] ih0,e0Vh0 lfgr½ | 123 | 126 | 40 | 32 | 3 | 2.4 | 8 | 6.35 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | | ty ifyl | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | कान्स0 जल पुलिस | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | मोटर बोट चालक जल पुलिस | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < | देहरादून | vfHk lpuk bdkb | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | पुलिस उपाधीक्षक | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | निरीक्षक अभिसूचना इकाई | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | उप निरीक्षक अभिसूचना इकाई | 26 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | हे0का0 अभिसूचना इकाई | 21 | 24 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 12.50 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | कान्स0 अभिसूचना इकाई | 24 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
| 57 | | एस0आई0(एम) (HEAD CLERK) | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | एस0आई0(एम) (STENO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | ए0एस0आई0(एम) (Asstt Clerk ) | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | कान्स0(एम) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |

## fcUn| l|[;k &11

सभी योजनाओं, प्रस्ताविततों व्ययों और कय किये गये संवितरकों पर रिपोर्टों की प्रविश्टयां उप दर्शित करते हुए।

प्रत्येक अभिकरण को आवन्टित बजट :–

### ¼v½ 03&ftyk iqfyl eq[; d vUrxrA

### foRrh; o"kZ 2011&2012

| y[kk'kh"kd&2055 iqfyl &109 ftyk iqfyl &03 ftyk iqfyl eq[; | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 e iklr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 e dqy 0;; | 'k"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 oru | 377677267.00 | 390429368.00 | **-12752101.00** |
| 02 etnjh | 803000.00 | 803000.00 | 0.00 |
| 03 egxkbZ HkRrk | 219571554.00 | 205774967.00 | 13796587.00 |
| 04 ;k=k HkRrk | 8955000.00 | 8954978.00 | 22.00 |
| 05 LFkkukUrj.k ;k=k HkRrk | 528101.00 | 527785.00 | 316.00 |
| 06 vU; HkRrs | 68008395.00 | 68008395.00 | 0.00 |
| 08 dk;kZy; 0;; | 2016000.00 | 2015981.00 | 19.00 |
| 09 fo|qr 0;; | 2119000.00 | 2118990.00 | 10.00 |
| 10 tydj @tyiHkkj | 407000.00 | 406977.00 | 23.00 |
| 11 ys[ku lkexh | 478000.00 | 477998.00 | 2.00 |
| 12 dk;kZy; QuhZpj@midj.k | 303000.00 | 302990.00 | 10.00 |
| 13 VsyhQksu | 931000.00 | 930987.00 | 13.00 |
| 16 0;kolkf;d rFkk fo'ks"k lsokvksa d fy, Hkqxrku | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 |
| 17 fdjk;k mi'kqYd | 869100.00 | 869091.00 | 9.00 |
| 19 foKkiu fcdzh | 114000.00 | 113832.00 | 168.00 |
| 25 y?kq fuekZ.k | 543000.00 | 541650.00 | 1350.00 |
| 27 fpfdRlk izfriwfrZ | 2690000.00 | 2689337.00 | 663.00 |
| 29 vuqj{k.k | 361000.00 | 360300.00 | 700.00 |
| 42 vU; 0;; | 1189000.00 | 1188994.00 | 6.00 |
| 45 vodk'k ;k=k 0;; | 38000.00 | 19160.00 | 18840.00 |
| 47 dEI;wVj vuqj{k.k | 112000.00 | 111993.00 | 7.00 |
| ;ksx | **687762417.00** | **686695773.00** | **1066644.00** |

### foRrh; o"kZ 2011&2012

## y[kk'kh"kd&2055 ify l& 111jyo ify l&03 jyo ify l e[;

| ekud en | foRrh; o"k 2011&12 e ikkIr dy vunku | foRrh; o"k 2011&12 e dy 0;; | 'k"k lefi r /kujkf'k |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 oru | 5696000.00 | 5401407.00 | 294593.00 |
| 03 egxkbZ HkRrk | 2658000.00 | 2934340.00 | **-276340.00** |
| 04 ;k=k HkRrk | 74000.00 | 74000.00 | 0.00 |
| 06 vU; HkRr | 1009000.00 | 898080.00 | 110920.00 |
| 08 dk;ky; 0;; | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 |
| 09 fo|r 0;; | 2000.00 | 1926.00 | 74.00 |
| 11 y[ku lkekxh | 13000.00 | 12999.00 | 1.00 |
| 12 dk;ky; Quhpj | 17000.00 | 16935.00 | 65.00 |
| 13 VyhQku | 3500.00 | 3473.00 | 27.00 |
| 15 Mh0@i0 o vuj{k.k | 25000.00 | 24982.00 | 18.00 |
| 42 vU; 0;; | 18500.00 | 18398.00 | 102.00 |
| 47 dEI;Vj vuj{k.k | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
| ;kx | **9543000.00** | **9413540.00** | **129460.00** |

foRrh; o"k 2011&2012

## y[kk'kh"kd&2055 ify l&003f'k{kk vkj if'k{k.k&04if'k{k.k 0;;

| ekud en | foRrh; o"k 2011&12 e ikkIr dy vunku | foRrh; o"k 2011&12 e dy 0;; | 'k"k lefi r /kujkf'k |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 oru | 1825000.00 | 1807728.00 | 17272.00 |
| 02 etnjh | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
| 03 egxkbZ HkRrk | 990000.00 | 998075.00 | **-8075.00** |
| 06 vU; HkRr | 235000.00 | 227746.00 | 7254.00 |
| 07ekun; | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 |
| 08 dk;ky; 0;; | 35000.00 | 34976.00 | 24.00 |
| 09 fo|r 0;; | 10000.00 | 9923.00 | 77.00 |
| 11 y[ku lkekxh | 12500.00 | 12499.00 | 1.00 |
| 12 dk;ky; Quhpj@midj.k | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 13 VyhQku 0;; | 50000.00 | 49889.00 | 111.00 |
| 42 vU; 0;; | 34000.00 | 33969.00 | 31.00 |
| 44 if'k{k.k 0;; | 350000.00 | 202335.00 | 147665.00 |
| 47 dEI;Vj vuj{k.k | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
| ;kx | **3567000.00** | **3402640.00** | **164360.00** |

foRrh; o"k 2011&2012

| y[kk'kh"kd&2055 ifyl&800&vU; O;;&04&Qk;j lfol 'kk[kk | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"k 2011&12 e ikIr dqy vuqnku | foRrh; o"k 2011&12 e dqy O;; | 'k"k lefir /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 oru | 25177000.00 | 25175717.00 | 1283.00 |
| 02 etnjh | 66000.00 | 65910.00 | 90.00 |
| 03 eg]xkbZ HkRrk | 13161000.00 | 13156228.00 | 4772.00 |
| 04 ;k=k HkRrk | 321000.00 | 321000.00 | 0.00 |
| 05 LFkkukUr ;k=k HkRrk | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 |
| 06 vU; HkRrs | 3070000.00 | 3050567.00 | 19433.00 |
| 08 dk;kZy; O;; | 34000.00 | 33990.00 | 10.00 |
| 09 fo|qr O;; | 65000.00 | 64998.00 | 2.00 |
| 10 tydj @tyiHkkj | 45000.00 | 44933.00 | 67.00 |
| 11 ys[ku lkexh | 15000.00 | 14990.00 | 10.00 |
| 12 dk;kZy; Quhpj | 18000.00 | 17918.00 | 82.00 |
| 13 VsyhQksu | 18000.00 | 17747.00 | 253.00 |
| 15 MhO@isO o vuqj{k.k | 1086000.00 | 1085995.00 | 5.00 |
| 17 fdjk;k mi'kYd | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 |
| 27 fpfdRlk ifrifrZ | 199000.00 | 198412.00 | 588.00 |
| 29 vuqj{k.k | 67500.00 | 67450.00 | 50.00 |
| 42 vU; O;; | 12000.00 | 11991.00 | 9.00 |
| 45 vodk'k ;k=k O;; | 9000.00 | 8752.00 | 248.00 |
| 47 dEI;wVj vuqj{k.k | 19000.00 | 18981.00 | 19.00 |
| ;ksx | **43481500.00** | **43454579.00** | **26921.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| y[kk'kh"kd&2055 ifyl&109&ftyk ifyl&05&ifjogu 'kk[kk | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"k 2011&12 e ikIr dqy vuqnku | foRrh; o"k 2011&12 e dqy O;; | 'k"k lefir /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 oru | 17544000.00 | 17787414.00 | **-243414.00** |
| 03 eg]xkbZ HkRrk | 8600000.00 | 8086626.00 | 513374.00 |
| 04 ;k=k HkRrk | 317000.00 | 317000.00 | 0.00 |
| 05 LFkkukUr ;k=k HkRrk | 19000.00 | 18996.00 | 4.00 |
| 06 vU; HkRrs | 2775000.00 | 2862091.00 | **-87091.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 dk;kZy; O;; | 5000.00 | 4999.00 | 1.00 |
| 15 Mh0@ih0 o vuqj{k.k | 13421000.00 | 13420973.00 | 27.00 |
| 27 fpfdRlk ifrZiwfrZ | 129000.00 | 127439.00 | 1561.00 |
| 42 vU; O;; | 3000.00 | 2895.00 | 105.00 |
| 47 dEI;wVj vuqj{k.k | 8000.00 | 7877.00 | 123.00 |
| ;ksx& | **42821000.00** | **42636310.00** | **184690.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| y{[kk'kh"kZd&2055 iqfyl&109ftyk iqfyl&04 jsfM;ks vf/k"Bku | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa ikfjr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 osru | 17800000.00 | 17486229.00 | 313771.00 |
| 02 etnwjh | 5200.00 | 5000.00 | 200.00 |
| 03 egxkbZ HkRrk | 9852000.00 | 9522871.00 | 329129.00 |
| 04 ;k=k HkRrk | 201061.00 | 200977.00 | 84.00 |
| 05 LFkkukUrj ;k=k HkRrk | 35000.00 | 32941.00 | 2059.00 |
| 06 vU; HkRrs | 2846800.00 | 2846785.00 | 15.00 |
| 08 dk;kZy; O;; | 28000.00 | 27963.00 | 37.00 |
| 09 fo|qr O;; | 50000.00 | 49936.00 | 64.00 |
| 10 tydj @tyiHkkj | 10000.00 | 9890.00 | 110.00 |
| 11 ys[ku lkexzh | 8000.00 | 7999.00 | 1.00 |
| 12 dk;kZy; QuhZpj | 9000.00 | 8989.00 | 11.00 |
| 13 VsyhQksu | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 26 e'khu lkt&lTtk | 40000.00 | 39967.00 | 33.00 |
| 27 fpfdRlk ifrZiwfrZ | 35000.00 | 34827.00 | 173.00 |
| 29 vuqj{k.k | 30000.00 | 29990.00 | 10.00 |
| 42 vU; O;; | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 47 dEI;wVj vuqj{k.k | 15000.00 | 14921.00 | 79.00 |
| ;ksx | **30976061.00** | **30330285.00** | **645776.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| ys[kk'kh"kZd&2055 iqfyl&101 vijkf/kd vUos"k.k&03vfHkIpuk bdkbZ | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa izkIr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 osru | 19500000.00 | 18942911.00 | 557089.00 |
| 03 egxkbZ HkRrk | 11166030.00 | 9951506.00 | 1214524.00 |
| 04 ;k=k HkRrk | 330000.00 | 330000.00 | 0.00 |
| 05 LFkkuk0 ;k=k HkRrk | 201471.00 | 198565.00 | 2906.00 |
| 06 vU; HkRrs | 3000000.00 | 4066029.00 | **-1066029.00** |
| 08 dk;kZy; O;; | 30000.00 | 29976.00 | 24.00 |
| 09 fo|qr O;; | 47000.00 | 46988.00 | 12.00 |
| 11 ys[ku lkexzh | 30000.00 | 29997.00 | 3.00 |
| 13 VsyhQksu | 27400.00 | 27391.00 | 9.00 |
| 16 O;olkf;d lsok,s | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 |
| 17 Hkkou dj@fdjk;k | 251415.00 | 251415.00 | 0.00 |
| 27 fpfdRlk izfriwfrZ | 40000.00 | 39993.00 | 7.00 |
| 42 vU; O;; | 1000.00 | 991.00 | 9.00 |
| ;ksx | **34631316.00** | **33922762.00** | **708554.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| ys[kk'kh"kZd&2055iqfyl&113iqfyl dfeZdksa dk dY;k.k&04fpfdRlky;&01iqfyl | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa izkIr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 osru | 1141000.00 | 1140994.00 | 6.00 |
| 03 egxkbZ HkRrk | 632500.00 | 632434.00 | 66.00 |
| 06 vU; HkRrs | 94800.00 | 94763.00 | 37.00 |
| 08 dk;kZy; O;; | 10500.00 | 10494.00 | 6.00 |
| 09 fo|qr O;; | 10000.00 | 9956.00 | 44.00 |
| 11 ys[ku lkexzh | 3000.00 | 2966.00 | 34.00 |
| 12 dk;kZy; QuhZpj | 12000.00 | 11790.00 | 210.00 |
| 27 fpfdRlk izfriwfrZ | 7000.00 | 6696.00 | 304.00 |
| 31 lkexzh lEifRr | 10000.00 | 9996.00 | 4.00 |
| 39 vkS"kf/k ,oa jlk;u | 116000.00 | 115982.00 | 18.00 |
| 42 vU; O;; | 6300.00 | 6271.00 | 29.00 |
| ;ksx | **2043100.00** | **2042342.00** | **758.00** |

# foRrh; o"kZ 2011&2012

| y[kk'kh"kZd&2055 ifyl 101 vijkf/kd vUos"k.k vkSj lrdZrk 05 vijkf/kd vUos"k.k | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa izkIr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 osru | 12762000.00 | 12323451.00 | 438549.00 |
| 03 egaxkbZ HkRrk | 6800000.00 | 6514430.00 | 285570.00 |
| 04 ;k=k HkRrk | 219000.00 | 218991.00 | 9.00 |
| 05 LFkkukUrj.k ;k=k HkRrk | 65000.00 | 63263.00 | 1737.00 |
| 06 vU; HkRrs | 2310000.00 | 2302045.00 | 7955.00 |
| 08 dk;kZy; O;; | 70000.00 | 69969.00 | 31.00 |
| 09 fo|qr O;; | 35000.00 | 34991.00 | 9.00 |
| 11 ys[ku lkexzh | 39000.00 | 38993.00 | 7.00 |
| 12 dk;kZy; QuhZpj | 38000.00 | 37935.00 | 65.00 |
| 13 VsyhQksu | 37000.00 | 36942.00 | 58.00 |
| 15 Mh0@ih0 o vuqj{k.k | 387000.00 | 386999.00 | 1.00 |
| 27 fpfdRlk izfriwfrZ | 175000.00 | 174958.00 | 42.00 |
| 42 vU; O;; | 30000.00 | 29993.00 | 7.00 |
| 45 vodk'k ;k=k O;; | 14000.00 | 13256.00 | 744.00 |
| 47 dEI;wVj vuqj{k.k | 23000.00 | 22960.00 | 40.00 |
| ;ksx | **23004000.00** | **22269176.00** | **734824.00** |

# foRrh; o"kZ 2011&2012

| ys[kk'kh"kZd&2055 &iqfyl&101&vijkf/kd vUos"k.k& 04&lqj{kk | | | |
|---|---|---|---|
| **ekud en** | **foRrh; o"kZ 2011&12 esa ikfjr dqy vuqnku** | **foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;;** | **'ks"k lefiZr /kujkf'k** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **01 osru** | 16700000.00 | 13081877.00 | 3618123.00 |
| **03 egaxkbZ HkRrk** | 7675000.00 | 7214188.00 | 460812.00 |
| **04 ;k=k HkRrk** | 135000.00 | 134282.00 | 718.00 |
| **05 LFkkuk0 ;k=k HkRrk** | 19000.00 | 18535.00 | 465.00 |
| **06 vU; HkRrs** | 8090000.00 | 7503545.00 | 586455.00 |
| **08 dk;kZy; O;;** | 39000.00 | 38906.00 | 94.00 |
| **11 ys[ku lkexzh** | 45000.00 | 44904.00 | 96.00 |
| **12 dk;kZy; QuhZpj** | 8000.00 | 7950.00 | 50.00 |
| **15 Mh0@ih0 o vuqj{k.k** | 2425000.00 | 2424999.00 | 1.00 |
| **16 O;olkf;d lsok,a** | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 |
| **27 fpfdRlk ifrifrZ** | 49000.00 | 40590.00 | 8410.00 |
| **42 vU; O;;** | 12500.00 | 12480.00 | 20.00 |
| **;ksx** | **35208500.00** | **30533256.00** | **4675244.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| ys[kk'kh"kZd&2055 iqfyl&109 ftyk iqfyl&07&?kMlokj iqfyl | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa ikfjr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 osru | 2620000.00 | 2604087.00 | 15913.00 |
| 02 etnwjh | 8000.00 | 7990.00 | 10.00 |
| 03 egaxkbZ HkRrk | 1430000.00 | 1424984.00 | 5016.00 |
| 04 ;k=k HkRrk | 32000.00 | 31994.00 | 6.00 |
| 05 LFkkukUrj.k ;k=k HkRrk | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 |
| 06 vU; HkRrs | 300000.00 | 295735.00 | 4265.00 |
| 08 dk;kZy; O;; | 740000.00 | 739991.00 | 9.00 |
| 09 fo|qr O;; | 22000.00 | 21957.00 | 43.00 |
| 10 tydj @tyiHkkj | 10000.00 | 9995.00 | 5.00 |
| 11 ys[ku lkexzh | 8000.00 | 7993.00 | 7.00 |
| 12 dk;kZy; QuhZpj | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 |
| 13 VsyhQksu | 18500.00 | 18474.00 | 26.00 |
| 27 fpfdRlk iqfrZiwfrZ | 97000.00 | 96026.00 | 974.00 |
| 42 vU; O;; | 20000.00 | 19980.00 | 20.00 |
| ;ksx | **5322500.00** | **5296206.00** | **26294.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| ys[kk'kh"kZd &2055iqfyl&110 xzke iqfyl&03 xzke iqfyl eq[; | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa ikfjr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 osru | 2223000.00 | 2223000.00 | 0.00 |
| 42 vU; O;; | 8000.00 | 7974.00 | 26.00 |
| ;ksx | **2231000.00** | **2230974.00** | **26.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| ys[kk'kh"kZd&2055&iqfyl&00&800&vU; O;;&10 dqEHk esyk O;oLFkk | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa ikfjr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 ;k=k HkRrk | 5474000.00 | 5464881.00 | 9119.00 |
| ;ksx | **5474000.00** | **5464881.00** | **9119.00** |

## foRrh; o"k 2011&2012

| y[kk'kh"kd &2055ifyl&113ifyl dfedk dk dY;k.k&09dY;k.k fuf/k | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"k 2011&12 e ikIr dy vuqnku | foRrh; o"k 2011&12 e dy 0;; | 'k"k lefir /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 vU; 0;; | 51000.00 | 51000.00 | 0.00 |
| ;kx | **51000.00** | **51000.00** | **0.00** |

## foRrh; o"k 2011&2012

| y[kk'kh"kd 2055&ifyl&113ifyl dfe;k dk dY;k.k&05[ky dn lekjkg | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"k 2011&12 e ikIr dy vuqnku | foRrh; o"k 2011&12 e dy 0;; | 'k"k lefir /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 vU; 0;; | 113000.00 | 112868.00 | 132.00 |
| ;kx | **113000.00** | **112868.00** | **132.00** |

## foRrh; o"k 2011&2012

| y[kk'kh"kd 2055 &ifyl&109&ftyk ifyl&08&;krk;kr ifyl | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"k 2011&12 e ikIr dy vuqnku | foRrh; o"k 2011&12 e dy 0;; | 'k"k lefir /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 dk;ky; 0;; | 45000.00 | 44992.00 | 8.00 |
| 11 y[ku lkexh | 59000.00 | 59000.00 | 0.00 |
| 12dk;ky; Quhpj | 14000.00 | 13918.00 | 82.00 |
| 31lkexh lEifr | 21000.00 | 20962.00 | 38.00 |
| 42 vU; 0;; | 88000.00 | 87983.00 | 17.00 |
| ;kx | **227000.00** | **226855.00** | **145.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| y{[kk'kh"kZd 2055 &iqfyl&109&ftyk iqfyl&11&'oku nyA | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa izkIr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 dk;kZy; O;; | 48000.00 | 47985.00 | 15.00 |
| 25 y?kq fuekZ.k | 60000.00 | 59800.00 | 200.00 |
| 29 vuqj{k.k | 1220.00 | 1200.00 | 20.00 |
| 42 vU; O;; | 13000.00 | 12823.00 | 177.00 |
| ;ksx | **122220.00** | **121808.00** | **412.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| y{[kk'kh"kZd&2055 iqfyl& 05 eBHkM esa eR;q gksus @lkgfld dk;Z | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa izkIr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 42 vU; O;; | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 |
| ;ksx | **20000.00** | **20000.00** | **0.00** |

## foRrh; o"kZ 2011&2012

| y{[kk'kh"kZd &2055iqfyl&13 fuokZpu | | | |
|---|---|---|---|
| ekud en | foRrh; o"kZ 2011&12 esa izkIr dqy vuqnku | foRrh; o"kZ 2011&12 esa dqy O;; | 'ks"k lefiZr /kujkf'k |
| 42 vU; O;; | 7975000.00 | 7974986.00 | 14.00 |
| ;ksx | **7975000.00** | **7974986.00** | **14.00** |

## fcUnq la[;k &12

अनुदान राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आवन्टित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्योरा सम्मिलित है :–

पुलिस विभाग को आवन्टित बजट के अतिरिक्त राज सहायता के अर्न्तगत कोई धनराशि स्वीकृति नहीं हुई है।

## fcUnq la[;k &13

रियायतों अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारियों के प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में विशि"टयां :–

शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन किया जाता है।

## fcUnq la[;k &14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध ब्यौरे, जो उनको उपलब्ध हों या उनके द्वारा धारित हों :–

1– जिला स्तर पर अपराधों के आंकड़े एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध रहती है।

2– अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे वेतन एवं भत्तों की सूचना को"ाागार के कम्प्यूटर में रहती है।

## fcUnq la[;k & 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो तो उसका भी विवरण :–

पुलिस कार्यालय स्तर पर पुस्तकालय उपलब्ध है, जिसमें उपलब्ध पुस्तकों का उपयोग पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

## fcUnq la[;k & 16

अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशि"टयां :–

| क्र0स0 | लोक प्राधिकारी कार्यालय का पूर्ण नाम एवं पता दूरभा"ा सहित | नामित लोकसूचना अधिकारी का पूर्ण नाम एवं पता दूरभा"ा सहित | नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण नाम एवं पता दूरभा"ा सहित |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री जी0सी0 ध्यानी<br>पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय वरि"ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून<br>9411112775 | – | श्री संजय गुंज्याल<br>पुलिस उप महानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, देहरादून<br>9411112945 |
| 2 | | श्री महेन्द्र सिह नेगी<br>(निरीक्षक) थाना कोतवाली<br>9411112809 | श्री नवनीत सिह भूल्लर<br>क्षेत्रा0 कोतवाली<br>941111959 |
| 3 | | श्री दिनेश भण्डारी<br>(निरीक्षक) थाना डालनवाला<br>9411112814 | श्रीमती स्वतन्त्र कुमार क्षेत्रा0 डालनवाला 9411111959 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | | श्री अव्वल सिंह रावत (निरीक्षक थाना कैण्ट 9411112810 | श्री नवनीत सिह भूल्लर क्षेत्रा0 कोतवाली 941111959 |
| 5 | | श्री एम0पी0सैनी (थानाध्यक्ष) थाना कलेमन्टाउन 9411112812 | श्रीमति सरिता डोभाल क्षेत्रा0 सदर 9411112089 |
| 6 | | श्री एस0एस0 वि"ट (निरीक्षक) थाना पटेलनगर 9411112825 | श्रीमति सरिता डोभाल क्षेत्रा0 सदर 9411112089 |
| 7 | | श्री अरविन्द सिंह रावत (प्रभारी निरीक्षक) थाना बसन्तविहार 9411112824 | श्री नवनीत सिह भूल्लर क्षेत्रा0 कोतवाली 941111959 |
| 8 | | श्री राजीव रौथाण (थानाध्यक्ष) थाना रायपुर 9411112823 | श्री स्वतन्त्र कुमार क्षेत्रा0 डालनवाला 9411111959 |
| 9 | | श्री बीसी पा़ठक (थानाध्यक्ष) थाना राजपुर 9411112811 | श्री मदन सिंह फर्सवाण क्षेत्रा0 मसूरी 9411112751 |
| 10 | | श्री परीक्षित कुमार (निरीक्षक) थाना मसूरी 9411112817 | श्री मदन सिंह फर्सवाण क्षेत्रा0 मसूरी 9411112751 |
| 11 | | श्री अबुल कलाम (थानाध्यक्ष) थाना जी0आर0पी0 9411112921 | श्री नवनीत सिह भूल्लर क्षेत्रा0 कोतवाली 941111959 |
| 12 | | श्री दिनेश चन्द्र बौठियाल (निरीक्षक) थाना नेहरू कालोनी 9411112991 | श्री स्वतन्त्र कुमार क्षेत्रा0 डालनवाला 9411111959 |
| 13 | | श्री गजेन्द्र सिंह रौतेला (निरीक्षक) थाना डोईवाला 9411112818 | श्रीमती सरिता डोबाल क्षेत्रा0 सदर 9411112089 |
| 14 | | श्री राजेश शाह (थानाध्यक्ष) थाना | श्री टी0डी0बेला क्षेत्रा0 ऋ"िकेश 9411112752 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | रानीपोखरी 9411112826 | |
| 15 | | श्री संदीप नेगी (थानाध्यक्ष) थाना रायवाला 9411112822 | श्री टी0डी0बेला क्षेत्रा0 ऋ"िकेश 9411112752 |
| 16 | | श्री अर्जुन सिह रावत (निरीक्षक) थाना ऋ"िकेश 9411112815 | श्री टी0डी0बेला क्षेत्रा0 ऋ"िकेश 9411112752 |
| 17 | | श्री सूर्यभू"ाण सिंह नेगी (थानाध्यक्ष) थाना सहसपुर 9411112816 | श्री पी0सी0 आर्य क्षेत्रा0 विकासनगर 9411112745 |
| 18 | | श्री रघुवीर सिह अस्वाल (निरीक्षक) थाना विकासनगर 9411112819 | श्री पी0सी0 आर्य क्षेत्रा0 विकासनगर 9411112745 |
| 19 | | श्री रवि कुमार (थानाध्यक्ष) थाना कालसी 9411112820 | श्री पी0सी0 आर्य क्षेत्रा0 विकासनगर 9411112745 |
| 20 | | श्री धीरज मणी बलूनी (थानाध्यक्ष) थाना चकराता 9411112813 | श्री पी0सी0 आर्य क्षेत्रा0 विकासनगर 9411112745 |
| 21 | | श्री हरीश गिरी (एफ0एस0ओ0) फायर सर्विस देहरादून 8126261974 | श्री चन्दन सिह जीना – मुख्य अग्नि शमन अधि0 |
| 22 | | श्री दानीराम (एफ0एस0ओ0) फायर सर्विस ऋशिके ा 9411463702 | श्री चन्दन सिह जीना – मुख्य अग्नि भामन अधि0 |
| 23 | | श्री चन्द्रमोहन ग्वाडी (एफ0एस0ओ0) फायर सर्विस विकासनगर 9412506952 | श्री चन्दन सिह जीना – मुख्य अग्नि शमन अधि0 |
| 24 | | एल0डी0 मिश्रा | श्री चन्दन सिह जीना – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (एस0एस0ओ0)फायर सर्विस सेलाकुई | मुख्य अग्नि शमन अधि0 |
| 25 | | श्री इन्द्रजीत आर्य<br><br>(एस0एस0ओ0) फायर सर्विस मसूरी 9897130933 | श्री चन्दन सिह जीना – मुख्य अग्निशमन अधि0 |

## fcUn| l|[;k & 17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय :–

सूचना मांगने वाले व्यक्ति द्वारा यह भी स्प"ट किया जाना चाहिए कि वह सूचना किसी प्रयोजन कि लिए चाहता है तथा उस सूचना का उससे क्या सम्बन्ध है। यदि उसके द्वारा मांगी गयी सूचना से विभाग/राज्य अथवा रा"ट्र की सुरक्षा अथवा अहित न होता हो तो उसे सूचना उपलब्ध करा दी जाये।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 के परिपेक्ष में पुलिस कार्यकुशलता और गुणवत्ता में श्रे"ठता लाने के सम्बन्ध में जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। यह विधेयक आम जनता की बुनियादी अधिकारों से जुडा हैं। अतः समस्त अधिकारियों को शासन/पुलिस मुख्यालय स्तर से प्राप्त योजनाओं और कार्यों की पूरी जानकारी स्वैच्छापूर्वक सूचनायें जनता को मुहैया कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा धारा–4(1), 4(2) , 4(3) एवं 4(4) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर सूचना पुलिस कार्यालय के सूचना प्रको"ठ/ सुविधा कक्ष में उपलब्ध हैं। सूचनाओं की उपलब्धता के लिये बेवसाइट तथा अन्य प्रकार के अभिलेखों को अध्यावधिक रखा गया हैं।